

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020

दिनांक

२१.०७.२०२०

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय।


विषय:- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में रिशफल सम्भाग आवंटन के पश्चात काउंसिलिंग के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.07.2020 एवं 23.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डी.बी.रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2019) की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का रिशफल सम्भाग आवंटन पश्चात काउंसिलिंग के संबंध में निर्देशित किया गया था आपके कार्यालय स्तर पर दिनांक 25.07.2020 एवं 26.07.2020 को काउंसिलिंग आयोजित कर पदस्थापित अभ्यर्थियों के नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु तिथि निर्धारित की गई थी।

उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें-

1. रिशफल मण्डल आवंटन में काउंसिलिंग के द्वारा पदस्थापित महिला कामिकों के प्रसूति अवकाश पर होने की स्थिति में कार्यग्रहण अवधि में प्रसूति अवकाश समाप्ति तक की अभिवृद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।
2. विशेष चिकित्सकीय परिस्थितियों (इण्डोर पेशेन्ट) में सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर